अध्याय ।

परिचय

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुए मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों के व्ययों से जुडे लेनदेनों की नियमितता और औचित्य की जांच से सम्बन्धित है। यह सुनिश्चित करती है कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों की अनुपालना की जा रही है। निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से यह जांच की जाती है कि क्या कार्यक्रम या गतिविधि के उद्देश्यों को मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से हासिल किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान सभा के समक्ष लाना होता है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग का वस्तु स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, मात्रा एवं प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से अपेक्षा की जाती है कि यह कार्यपालक को सुधारात्मक कार्यवाही करने में सहयोग कर सके। यह कार्यपालिका को सुशासन हेतु वित्तीय प्रबन्धन में सुधार के लिए नीतियां एवं निर्देश बनाने हेतु आधार प्रदान करेंगे।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं आकार की व्याख्या के अतिरिक्त, निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा में देखी गयी महत्वपूर्ण कमियों के सारांश को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय II में सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण का अनुबन्ध प्रबन्धन एवं राजस्थान में वन और वन्यजीवों का संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर निष्कर्ष शामिल है। अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुए आक्षेप शामिल है।

1.2 लेखापरीक्षा की रूपरेखा

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा आर्थिक क्षेत्र के बारह विभागों[1] एवं उनके स्वायत्तशासी निकायों के खर्चों की

[1] सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन, सिचिंत क्षेत्र विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, सूचना तकनीकी एवं संचार, भू जल, पर्यावरण विभाग, पर्यटन, उर्जा तथा उद्योग।

लेखापरीक्षा की जाती है। ये विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों, द्वारा आयुक्तों/उपशासन सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से नियंत्रित है।

राजस्थान सरकार के वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है;

राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2016-17	2017-18		2016-17	2017-18
अनुभाग-अ: राजस्व					
कर राजस्व	44,371.66	50,605.41	सामान्य सेवायें	39,203.26	43,450.36
कर-भिन्न राजस्व	11,615.57	15,733.72	सामाजिक सेवायें	49,371.68	53,064.07
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	33,555.86	37,028.01	आर्थिक सेवायें	38,565.14	49,326.98
भारत सरकार से सहायतार्थ - अनुदान	19,482.91	23,940.04	सहायतार्थ - अनुदान एवं अंशदान	0.06	0.11
योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियां	**1,09,026.00**	**1,27,307.18**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**1,27,140.14**	**1,45,841.52**
अनुभाग-ब: पूंजीगत एवं अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	27.84	16.61	पूंजीगत परिव्यय	16,979.72	20,623.28
कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां	1,713.53	15,133.41	संवितरित कर्जे तथा अग्रिम	12,965.45	1,334.02
लोक ऋण प्राप्तियां*	43,888.85	28,556.57	लोक ऋण की पुनर्अदायगी*	5,014.57	11,673.66
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियां≠	1,56,044.35	1,56,811.26	लोक लेखा संवितरण≠	1,48,885.50	1,47,088.02
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	8,397.27	8,112.46	अंतिम रोकड़ शेष	8,112.46	9,376.99
योग अनुभाग-ब प्राप्तियां	**2,10,071.84**	**2,08,630.31**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**1,91,957.70**	**1,90,095.97**
कुल योग (अ + ब)	**3,19,097.84**	**3,35,937.49**	**कुल योग (अ + ब)**	**3,19,097.84**	**3,35,937.49**

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखें

* मार्गोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल संव्यवहारों को छोड़कर

≠ लोक लेखा प्राप्तियां/संवितरण की राशि सकल आधार पर दर्शायी गई है।

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी है।

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करते हुए आर्थिक क्षेत्र के विभागों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 तथा इसके अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिये सिद्धांत एवं विधियां, सीएजी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई है। यह कार्यालय राज्य के छ: राजस्व अर्जन विभागों की लेखापरीक्षा भी करता है।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरूआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/ स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के कार्यकलापों के जोखिम के आंकलन से होती है। जोखिम आंकलन, व्यय की मात्रा, गतिविधियों के महत्व, समग्र आंतरिक नियंत्रणों की स्थिति एवं भागीदारों की अपेक्षाओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते है। 2017-18 के दौरान, आर्थिक क्षेत्र - II लेखापरीक्षा समूह में, 255 इकाइयों की लेखापरीक्षा करने के लिए 1855 लेखापरीक्षा दल-दिनों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, 1234 लेखापरीक्षा दल-दिनों का उपयोग दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं और एक विषयगत लेखापरीक्षा के संचालन के लिए किया गया।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को एक निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है। इकाईयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता हैं।

1.5 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं अर्थात् सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण का अनुबन्ध प्रबन्धन एवं राजस्थान में वन और वन्यजीवों का संरक्षण, एक अनुपालना लेखापरीक्षा राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 का कार्यान्वयन और छः एकल अनुच्छेद शामिल है। मुख्य बिन्दु निम्न अनुच्छेदों में दिए गए है।

1.5.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवदेन के अध्याय II में सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण का अनुबन्ध प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा एवं राजस्थान में वन और वन्यजीवों का संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा नीचे की गई है:

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण का अनुबन्ध प्रबन्धन

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों जैसी विभिन्न श्रेणियों की 2,36,572 किलोमीटर (किमी) सड़कें हैं।

अनुबन्ध प्रबन्धन सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें शामिल कार्यो के महत्व को देखते हुए यह वांछनीय है कि अनुबंधों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। हमने अनुबन्ध प्रबन्धन प्रणाली की लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की कि:

- सड़क कार्यों की योजना व्यापक थी और कार्यों की स्वीकृतियां निर्धारित तकनीकी और वित्तीय मानदंडों/मानकों के अनुरूप थी;
- निविदा और अनुबंध प्रबन्धन, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी एवं क्षेत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप था और अनुबंध भिन्नताएं और भुगतान समझौतों और वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार कुशलतापूर्वक प्रबंधित किए गए थे;
- मजबूत प्रबन्धन सूचना प्रणाली, प्रभावी विवाद निवारण प्रणाली के साथ विभाग में सभी स्तरों पर प्रभावी नियोजन, निगरानी और निर्णय लेने के लिए मौजूद थी और निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों और समय-सीमा का पालन किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने अनुबन्ध प्रबन्धन प्रणाली के सम्बन्धित चरणों में कुछ कमियां पायी। नियमों की मौजूदा रूपरेखा सर्वोत्तम प्रथाओं के

अनुरूप नहीं हैं। विभाग के पास सड़क के कामों को प्राथमिकता देने के लिए उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करते हुए एक व्यापक कार्यान्वयन योजना का अभाव है। ऐसे दृष्टांत थे जहां लागत अनुमान के लिए बुनियादी मानदंडों का पालन नहीं किया गया था, तकनीकी स्वीकृतियों से पहले निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, न्यूनतम अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले संवेदकों को निविदाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, इत्यादि। सड़कों की संरचना और उनके निर्माण में इण्डियन रोड कांग्रेस के विनिर्देशों तथा मानदंडों के उल्लंघन के मामले देखें गए जैसे कि यातायात जनगणना न किया जाना, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल परीक्षण की गणना न करना, मिटटी के कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात का परीक्षण न करना, इत्यादि। सड़कों के किनारे व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने का नीतिगत उद्देश्य हासिल नही किया गया था। कई सड़क परियोजनाओं में देरी हुई, तथापि, बिना न्यायसंगत आधार पर विभाग को देरी के कारणों के लिए जिम्मेदार बताते हुए अधिकांश मामलों में संवेदकों से परिनिर्धारित नुकसान वसूल नहीं किया गया था। मूल्य भिन्नता के दावों की सही गणना नहीं की गई थी, जिससे संवेदकों को अनुचित लाभ दिया गया था। कई खण्डों में सड़क कार्यों में गुणवत्ता परीक्षण ठीक से नहीं किया जा रहा था। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना संवेदकों को भुगतान किया जा रहा था।

➢ इन निष्कर्षों के आधार पर, हम सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकार राज्य के लिए एक व्यापक सड़क विकास नीति तैयार करे। विभाग पूर्ण आबादी संपर्क, बेहतर रखरखाव और सभी सड़कों के उन्नयन के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं तैयार करे। विभाग को अखंडता संधि पर हस्ताक्षर करने, संवेदकों की निविदा क्षमता के मूल्यांकन के लिए उचित मापदंडों को अपनाने, संपत्ति निर्माण और प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं के लिए एक कुशल आईटी समाधान को अपनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके निविदा प्रक्रिया की दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए विचार करना चाहिए। विभाग अपनी कार्यक्षमता में सुधार लाने और कार्यों के निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने के लिए अपनी नियमावली को संशोधित और अद्यतन कर सकता है। विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रारम्भिक/विस्तृत अनुमान इण्डियन रोड कांग्रेस मानदंडों और सरकारी निर्देशों के अनुसार, जो कि निर्धारित परीक्षणों और सर्वेक्षण परिणामों से समर्थित हो, तैयार किए जाएं। विभाग द्वारा पंजीकृत संवेदकों का पूरा डेटाबेस बनाया जाना चाहिए जिसमें पंजीकरण की स्थिति, उपलब्ध उपकरणों और तकनीकी कर्मचारियों के विवरण, वित्तीय सूचनाएं,

निष्पादित कार्यों आदि का विवरण हो। विभाग में कार्यो के संचालन की शैली में परिवर्तन को देखते हुए संख्या और योग्यता दोनों के संदर्भ में मानव संसाधन आवश्यकताओं के मूल्यांकन की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 2.1)

राजस्थान में वन और वन्यजीवों का संरक्षण

पृथ्वी पर जीवन समर्थन प्रणाली को बनाए रखने के लिए वन आवश्यक हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48-ए में विहित है कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार और देश के वन और वन्यजीवों की रक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वन्यजीवों का पालन और संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है, 'वनों एवं वन्यजीवों और पक्षियों के संरक्षण' को संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है ताकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस मामले पर नियमन करने में सक्षम बनाया जा सके।

हमने राज्य द्वारा किये गए प्रयासों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा की:

अ. संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय;

ब. संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय;

स. वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए निधि का उपयोग।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि यद्यपि विभाग ने कुछ सक्रिय कदम उठाए हैं, जिनकी परिणति रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि, माचिया, जोधपुर में एक नए जैविक पार्क का निर्माण, झालाना, जयपुर में तेंदुए सफारी की शुरुआत और नाहरगढ़ में पार्क का विकास है, राज्य में वन और वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ाने के लिए अभी भी उपाय किए जाने की आवश्यकता है। बजट की कमी के कारण वन खण्डों के लिए वार्षिक योजनाएं उचित प्रकार से कार्यान्वित नहीं की जा रही थी। विभाग ने इको-सेंसिटिव ज़ोन के गठन के लिए अधूरे प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिसके परिणामस्वरूप उनकी अधिसूचनाओं में देरी हुई। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो से प्राप्त निर्देशों के बावजूद राज्य स्तरीय अंतर-एजेंसी समन्वय समिति एवं वन्यजीव अपराध नियंत्रण इकाइयां गठित नहीं की गई। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना सरिस्का टाइगर रिजर्व में संचालित होने वाली व्यावसायिक दुकानों / गतिविधियों को हटाने के लिए विभाग द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई। राजस्व मानचित्रों पर वन भूमि की रूपरेखा तैयार करने, सीमा स्तंभों के माध्यम से इसके

अमलदरामद तथा सीमांकन और वन मानचित्रों के डिजिटलीकरण का कार्य बहुत धीमा रहा। चयनित खण्डों ने अवैध खनन से प्रभावित वन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उपग्रह इमेजरी सिस्टम का उपयोग नहीं किया। विभाग में सुरक्षा, तकनीकी और क्षेत्र पर्यवेक्षी कर्मचारियों के संवर्ग में महत्वपूर्ण रिक्तियों के साथ मानव संसाधन प्रबन्धन कमजोर था।

इन निष्कर्षों के मद्देनजर हम सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकार और विभाग को राज्य में वन आवरण बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए; मानवजनित गतिविधियों और अन्य व्यवधानों से प्रभावित क्षेत्रों में पूर्वावस्था स्थापित करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वन्यजीव अपराधों की प्रभावी रोकथाम और सजा सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय अंतर एजेंसी समन्वय समिति और वन्यजीव अपराध नियंत्रण इकाई की स्थापना की जानी चाहिए। वन भूमि का अमलदरामद, अधिसूचना, सीमांकन और डिजिटलीकरण को एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पूरा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार वन भूमि पर अवैध खनन/अतिक्रमण/आग को रोकने के लिए तंत्र को मजबूत कर सकती है। विभाग को अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों और तकनीकी कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने के लिए अपने मानव संसाधन प्रबन्धन कार्यों को मजबूत करना चाहिए।

(अनुच्छेद 2.2)

1.5.2 अनुपालना लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000

सिंचाई प्रणाली के नियोजन, संचालन और रखरखाव में कृषकों के सहयोग से सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन (पीआईएम) सिंचाई प्रणाली के प्रभावी प्रबन्धन के लिए आवश्यक है। यह सामूहिक कार्रवाई, उपयोगकर्ताओं, एजेंसियों और सरकारों के बीच संवाद के अवसर प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से विदित हुआ कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नीतियां बनाने के लिए शीर्ष समिति का गठन नहीं किया गया है। चयनित 18 खण्डों में, 867 जल उपयोगकर्ता संघों (WUAs) के लक्ष्य के विरुद्ध, 16 खण्डों में केवल 519 जल उपयोगकर्ता संघों का गठन किया गया था, जबकि दो खण्डों में जल उपयोगकर्ता संघ नहीं बनाए गए थे। कई परियोजनाओं के लिए वितरण समितियों और परियोजना समितियों के गठन में महत्वपूर्ण कमी थी।

16 खण्डों में से जहां जल उपयोगकर्ता संघों का गठन किया गया था, 11 खण्डों में जल उपयोगकर्ता संघ अपने अनिवार्य कार्य नहीं कर रहे थे। चयनित चार

खण्डों में जल उपयोगकर्ता संघों का कामकाज असंतोषजनक था क्योंकि 2015-16 से 2017-18 के दौरान कृषकों से जल शुल्क की कुल मांग का केवल 26.26 प्रतिशत संग्रहित किया गया था। जल उपयोगकर्ता संघों में वित्तीय प्रबन्धन और लेखा प्रणाली कमजोर थी क्योंकि निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

पांच साल के नियमित कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव नहीं हुए थे। विभागीय स्तर पर निगरानी प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी। सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन से सम्बन्धित गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था और जल उपयोगकर्ता संघों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन मापन मानदंड नहीं अपनाये गये थे।

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि विभाग अधिनियम के निर्दिष्टानुसार शीर्ष समिति एवं सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन प्रकोष्ठ का गठन कर सकता है ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन की उचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके। विभाग सभी परियोजनाओं के लिए जल उपयोगकर्ता संघों, वितरण और परियोजना समितियों का गठन सुनिश्चित कर सकता है। विभाग उपयोगकर्ताओं से जल शुल्क का उचित संग्रह सुनिश्चित कर सकता है ताकि जल उपयोगकर्ता संघों के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था हो सके। विभाग जल उपयोगकर्ता संघों का समय पर चुनाव सुनिश्चित कर सकता है।

(अनुच्छेद 3.1)

प्रस्तावित ईको विकास परियोजना को मंजूरी नहीं देने के कारण केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में आने वाले पर्यटकों से प्राप्त ₹ 16.12 करोड़ की ईको विकास अधिभार की राशि अनुपयोजित रही।

(अनुच्छेद 3.2)

उत्खनन में निकले वन उत्पाद (पत्थरों) की गलत कीमत लगाने के कारण उपयोगकर्ता एजेंसी से ₹ 0.83 करोड़ की वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 3.3)

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा निर्धारित शर्त का उल्लंघन करते हुए, 2380 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 419.70 हेक्टेयर राजस्व भूमि को हस्तान्तरित किया गया था। इसके अलावा, क्षतिपूरक वनीकरण के लिए राशि ₹ 34.26 करोड़ का भुगतान शहरी सुधार न्यास, कोटा की ओर लम्बित है।

(अनुच्छेद 3.4)

प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त स्टील के उपयोग करने के विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, इमारतों के निर्माण के लिए स्थानीय निर्माताओं से स्टील की खरीद की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ। जिसके कारण निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी की संभावना थी।

(अनुच्छेद 3.5)

प्रस्तावित सड़क कार्यों को शुरू करने से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों का पालन न करने के कारण अपूर्ण सड़कों पर ₹ 2.07 करोड़ का व्यय करने के बावजूद आबादी के अंतिम छोर तक सड़क संपर्क प्रदान करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 3.6)

सम्बन्धित प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण मध्यस्थता अवार्ड के खिलाफ अपील गलत अदालत में दायर की गई, जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई और अपील कालातीत हो गई और विभाग मामले में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष नहीं रख सका। विभाग ने कानूनी मामले को लम्बा कर दिया जिसके परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 15.01 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.7)

1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

प्रारूप अनुच्छेदों को सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। उन्हे यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों को सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को भेजे जाते है। प्रारूप अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सभी उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

31 जुलाई 2019 तक, आर्थिक क्षेत्र के तहत नौ विभागों की 2408 निरीक्षण रिपोर्ट (10278 अनुच्छेद) बकाया थी। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है;

बकाया निरीक्षण प्रतिवदनों का वर्षवार विवरण

क्र. स.	विभाग	2013-14 तक		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		योग	
		नि.प्र.	अनु.	नि.प्र.	अनु.	नि.प्र.	अनु.	नि.प्र.	अनु.	नि.प्र.	अनु.	नि.प्र.	अनु.
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	881	3695	155	893	112	707	107	677	88	620	1343	6592
2.	जल संसाधन विभाग	344	951	26	110	47	207	66	356	65	347	548	1971
3.	वन विभाग	221	520	24	94	27	148	51	314	50	319	373	1395
4.	सिचिंत क्षेत्र विकास	54	74	02	03	02	05	03	19	01	01	62	102
5.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	22	52	01	01	03	11	03	15	01	01	30	80
6.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	05	05	-	-	02	02	01	03	04	11	12	21
7.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	01	01	-	-	-	-	01	01	02	11	04	13
8.	भूजल विभाग	19	32	01	01	01	01	06	11	02	08	29	53
9.	पर्यावरण विभाग	04	27	01	05	-	-	01	17	01	02	07	51
	योग	**1551**	**5357**	**210**	**1107**	**194**	**1081**	**239**	**1413**	**214**	**1320**	**2408**	**10278**

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये है, पर व्याख्यात्मक नोट्स, प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कराकर जन लेखा समिति को प्रस्तुत किए जाएं। 31 जुलाई 2019 तक पैराग्राफ/निष्पादन लेखापरीक्षा पर कोई व्याख्यात्मक नोट लम्बित नहीं है।

जन लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा

31 जुलाई 2019 तक जन लेखा समिति (पीएसी) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) में सम्मिलित होने वाले अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा की चर्चा की स्थिति निम्नानुसार है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित एवं चर्चा किये गए अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा में सम्मिलित		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2016-17	1	11	-	9

2015-16 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) में सम्मिलित हुए निष्पादन लेखापरीक्षा और पैराग्राफ पर चर्चा पूरी हो चुकी है।